उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
(सहकारिता अनुभाग)
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।

संख्या 1157 /सह./ दिनॉक 25-3-2010

इंचार्ज कम्प्यूटर सेल
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
मुख्यालय, लखनऊ

कृपया अपने पत्र संख्या 1402/कम्प्यूटर दिनांक 12.03.10 एवं पत्रांक 1407/कम्प्यूटर दिनांक 18.03.10 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो इस आशय से प्रेषित किया गया था कि अपने–अपने कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित FAQs (Frequently Asked Questions) अर्थात प्रश्न एवं उनके उत्तर सरल भाषा में तैयार कराकर कम्प्यूटर सेल को उपलब्ध करा दें।

अवगत कराना है कि सहकारिता अनुभाग में मुख्यरूप से समितियों का निबन्धन, निर्वाचन एवं उनके सम्बन्ध में दायर किये गये मध्यस्थवाद का कार्य किया जाता है।

अतः निबन्धन, निर्वाचन एवं मध्यस्थवाद से सम्बन्धित FAQs (Frequently Asked Questions) अर्थात प्रश्न एवं उनके उत्तर तैयार कर प्रेषित है।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय,

25/3/10

(श्रीकान्त गोस्वामी)
सहायक आवास आयुक्त/सहायक निबन्धक

निबन्धन से सम्बन्धित प्रश्न उत्तर

प्रश्नः– सहकारी आवास समितियों के निबन्धन की प्रक्रिया क्या हैं?

उत्तरः– सहकारी आवास समितियों के निबन्धन हेतु सम्बन्धित मण्डल/जनपद के सहकारी अधिकारी(आवास)/सहकारी पर्यवेक्षक(आवास) से सम्पर्क कर निबन्धन हेतु प्रार्थना पत्र देना होगा तथा सहकारी अधिकारी(आवास)/सहकारी पर्यवेक्षक(आवास) द्वारा निर्धारित की गयी तिथि पर समिति में सम्मिलित होने वाले सदस्यो की एक बैठक होगी। जिसमें प्रस्ताव पारित करना होगा। इस बैठक में संबंधित सहकारी अधिकारी (आवास)/सहकारी पर्यवेक्षक(आवास) उपस्थित रहेगें। समिति के मुख्य प्रवर्तक द्वारा निबन्धन हेतु निर्धारित समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर सम्बन्धित सहकारी अधिकारी (आवास)/सहकारी पर्यवेक्षक(आवास) को उपलब्ध कराना होगा, जिसकी जॉच करते हुए सहकारी अधिकारी (आवास)/सहकारी पर्यवेक्षक(आवास) मुख्यालय को अपनी संस्तुति के साथ प्रपत्र प्रेषित करेगे तथा उसका निबन्धन संयुक्त आवास आयुक्त/संयुक्त निबन्धक द्वारा किया जायेगा।

प्रश्नः– निबन्धन के लिए प्रारम्भ में कुल कितने सदस्यो का होना आवश्यक है।

उत्तरः– आवास आयुक्त/निबन्धक(म0) द्वारा निबन्धन हेतु कम से कम 25 सदस्यों की संख्या निर्धारित की गयी हैं।

प्रश्नः– समिति के प्रबन्ध कमेटी में कुल कितने सदस्य होगें?

उत्तरः– समिति की प्रबन्ध कमेटी में कुल 08 सदस्य होगें,जिनका चयन संगठनात्मक बैठक में किया जायेगा,जो तदर्थ कमेटी कही जायेगी ।

प्रश्नः– सचिव के लिए कोई शैक्षिक योग्यता निर्धारित है?

उत्तरः– समिति के निबन्धन के समय सचिव की शैक्षिक योग्यता कम से कम इण्टरमीडिएट होना आवश्यक है।

प्रश्नः– सहकारी आवास समितियों के निबन्धन के लिए निर्धारित प्रपत्र क्या–क्या ?

उत्तरः– सहकारी आवास समितियों के निबन्धन हेतु प्रपत्र निम्नानुसार हैंः–

1– निबन्धन प्रार्थना पत्र।

2– निबन्धन प्रार्थना पत्र हेतु ट्रेजरी चालान से जमा शुल्क मु050/–रू0 लेखा शीर्षक ''0425–सहकारिता
 00 – –
 800–अन्य प्राप्तियॉ
 05–अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियॉ
 00 – –

3– आवास आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित आदर्श उपविधि की तीन प्रतियॉ।(उ0प्र0 सहकारी आवास संघ लि0 लखनऊ में बिक्री हेतु उपलब्ध)

4– मुख्य प्रवर्तक का निर्धारित प्रारूप पर मु010/–रू0 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र।

5– संगठनात्मक बैठक,जिसमें सम्बन्धित सहकारी अधिकारी(आवास)/सहकारी पर्यवेक्षक (आवास) उपस्थित रहेगा, के कार्यवाही की तीन प्रतियॉ।

6– निर्धारित प्रारूप पर सदस्यवार शपथ पत्र जिस पर दो रूपये के स्टाम्प पर नोटरी अथवा ओथ कमीशनर द्वारा प्रमाणित सदस्यवार शपथ पत्र जिस पर सदस्य का फोटो रहेगा जो सम्बन्धित सदस्य,मुख्य प्रवर्तक द्वारा प्रमाणित तथा सम्बन्धित सहकारी अधिकारी(आवास)/ सहकारी पर्यवेक्षक(आवास) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगा।

7– निर्धारित प्रारूप पर सभी सदस्यों का घोषणा पत्र।

8– सचिव की जन्म तिथि एवं शैक्षिक योग्यता के सम्बन्ध में हाईस्कूल अथवा अन्य मान्य प्रमाण पत्र तथा कम से कम इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण होने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र।

9– सचिव की नियुक्ति आदेश एवं योगदान की सूचना।

10– निर्धारित प्रारूप पर सदस्यो का विवरण।(जिसमें कम से कम 25 सदस्य एवं अधिकतम 250 सदस्य हो सकते है)

प्रारूप

क0सं0	नाम सदस्य	पिता का नाम	निवासी	उम्र	व्यवसाय	वार्षिक आय	हस्ताक्षर

उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा 70 के अधीन वादों के निस्तारण के सम्बन्ध में।

प्रश्न–1 आवास समितियों के किस प्रकार के विवाद धारा 70 के अन्तर्गत मध्यस्थ निर्णय हेतु भेजे जा सकते हैं।

उत्तर धारा–70 (1) के प्राविधानुसार तत्समय प्रचलित किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी यदि सहकारी समिति के संगठन, प्रबन्ध अथवा कार्य के सम्बन्ध में, समिति के वेतनभोगी कर्मचारी के विरूद्ध की गयी अनुशासनिक कार्यवाही में सम्बद्ध विवाद से भिन्न कोई विवाद सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दाखिल किये जा सकते हैं।

प्रश्न–2 मध्यस्थ वाद किस–किस मध्य चलाया जा सकता है।

उत्तर धारा 70 के अधीन निम्नवत् के मध्य वाद चलाये जा सकते हैं

क– सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों और मृत सदस्यों से दावा करने वाले व्यक्तियों के बीच, अथवा

ख– किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य के माध्यम से दावा करने वाले किसी व्यक्ति और समिति, उसकी प्रबन्ध कमेटी, जिसे आगे इस अध्याय में कमेटी अभिदिष्ट किया गया है, अथवा समिति के अधिकारी, अभिकर्ता या कर्मचारी जिनके अन्तर्गत भूतपूर्व अधिकारी, अभिकर्ता या कर्मचारी भी हैं, के बीच, अथवा

ग– समिति अथवा उसकी कमेटी और समिति की किसी भूतपूर्व कमेटी या किसी अधिकारी, अभिकर्ता या कम्रचारी या किसी भूतपूर्व कर्मचारी अथवा समिति के किसी मृत अधिकारी, मृत अभिकर्ता या मृत कर्मचारी द्वारा नाम निर्दिष्ट , या उसके दायाद अथवा विधिक प्रतिनिधि के बीच, अथवा

घ– किसी सहकारी समिति और किसी अन्य सहकारी समिति अथवा समिति क बीच उत्पन्न हो।

प्रश्न–3 मध्यस्थ वाद किस नियम के अन्तर्गत दाखिल किया जायेगा।

उत्तर नियम 225 के अधीन निर्धारित प्रारूप जो परिशिष्ट 'क' पर दिया जा रहा है, पर भरकर समक्ष प्राधिकारी के समक्ष दाखिल किया जायेगा।

प्रश्न–4 मध्यस्थ वाद किसके समक्ष दाखिल होंगे तथा उसकी सम्पत्ति मूल्य क्या होगा।

उत्तर सहकारिता अनुभाग, उ0प्र0 शासन के अधिसूचना संख्या 771/12सी–1–89–7 (8) 1976 दिनॉक 10.8.89 द्वारा उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 एवं नियमावली 1968 में प्रदत्त निबन्धक की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु आवास आयुक्त/निबन्धक एवं उप आवास आयुक्त/उप निबन्धक एवं सहायक आवास आयुक्त/सहायक निबन्धक को अधिकार प्रतिधानित किये गये हैं जिसमें धारा 70/71 से आच्छादित होने वाले मध्यस्थ वादों के सम्बन्ध में नियमावली के नियम 229 में प्राविधानित व्यवस्था में निम्नवत् वाद मूल्यॉकन के आधार पर वाद के निस्तारण का क्षेत्राधिकार निर्धारित किया गया है।

कमॉक	वाद में अन्तर्ग्रस्त धनराशि/सम्पत्ति का मूल्य	निस्तारण का क्षेत्राधिकार
1	सम्पत्ति का मूल्य रू0 25,000/– तक	सहायक आवास आयुक्त/ सहायक निबन्धक (नियम 229 (क) के अन्तर्गत)
2	सम्पत्ति का मूल्य रू0 25,001:– से रू0 1,00,000/– तक	संयुक्त आवास आयुक्त/ संयुक्त निबन्धक
3	नियम 229 (2) के अन्तर्गत यदि प्रबन्ध कमेटी के संगठन या किसी सहकारी आवास समिति के किसी पदाधिकारी या प्रतिनिधि के निर्वाचन या नियुक्त से सम्बन्धित हो तो	(1)शीर्ष सहकारी आवास समितियों के लिए आवास आयुक्त/निबन्धक (2) जनपद स्तर की सहकारी आवास समितियों के लिए सम्बन्धित जिले के जिला मजिस्ट्रेट

उपरोक्त क्षेत्राधिकारयुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा वादों को स्वयं सुना जा सकता है अथवा उनके द्वारा कमशः नियमावली के नियम 230 के उपनियम क,ख,ग एवं घ के अन्तर्गत मध्यस्थ नियुक्त कर मध्यस्थ द्वारा प्रकरण का निस्तारण कराया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि रू0 1,00,000/– से अधिक किन्तु रू0 3,00,000/– तक के सम्पत्ति के वादों के निस्तारण के लिए नियम 229 (ग) के अन्तर्गत

अपर निबन्धक (विधि) सहकारी समितियाँ उ0 प्र0 लखनऊ को प्रार्थना पत्र सन्दर्भित किया जायेगा तथा 229 (घ) के अन्तर्गत रू0 3,00,000/- के ऊपर के वादों के लिए निबन्धक सहकारी समितियाँ उ0 प्र0 लखनऊ को प्रार्थना पत्र सन्दर्भित किये जाने का प्राविधान है।

प्रश्न-5 वाद दाखिल का विधिक शुल्क कितना है तथा किस स्तर पर जमा होगा।

उत्तर किसी विवाद के निपटारे के लिए धारा 70 की उप धारा (1) के अधीन किसी अभिदेश के लिए नियम 358 में देय विधिक शुल्क प्राविधानित है। जिसके अनुसार मुख्यतः सम्पत्ति के मूल्य का सन्दर्भ में अधोलिखित सहकारिता विभाग के लेखा शीर्षक में सम्पत्ति मूल्य का 1 प्रतिशत की दर से देय होगा किन्तु जहाँ अभिदेश नियम 229 के उपनियम (2) या उपनियम (3) के अन्तर्गत आता है तो वहाँ रू0 500/- किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ वादी के अनुरोध पर धारा 71 की उपधारा (1) के अधीन मध्यस्थ मण्डल संघटित किया जाय, वहाँ शुल्क की धनराशि वह होगी जो पूर्ववर्ती संगत खण्ड के अधीन देय हो और उसके अतिरिक्त उसका दस प्रतिशत या पचास रूपये , इसमें जो भी अधिक हो, देय होगा। वाद शुल्क सहकारिता विभाग के निम्नलिखित लेखा शीर्षक में ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा किया जायेगा। जिसकी मूल प्रति वाद प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न की जायेगी।

लेखा_शीर्षक का विवरण- 0425 सहकारिता

00 --

800 अन्य प्राप्तियाँ

05 अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियाँ

0000000

उ0प्र0. सरकार, सहकारिता अनुभाग के अधिसूचना संख्या 1789/49-2-2006-148 (5) 2006 दिनॉक 27.07.06 द्वारा शासन की उपर्युक्त अधिसूचना दिनॉक 10.08.89 में शब्द उप आवास आयुक्त/उप निबन्धक जहाँ कहीं पर हो के स्थान पर शब्द संयुक्त आवास आयुक्त/संयुक्त निबन्धक रख दिये जाने का संशोधन किया गया। फलस्वरूप उप आवास आयुक्त/उप निबन्धक के स्थान पर अब संयुक्त आवास आयुक्त/संयुक्त निबन्धक पढ़ा जायेगा और उन्हें प्रकरण सन्दर्भित किया जायेगा।

प्रश्न-6 वाद प्रार्थना पत्र के साथ कौन-कौन से प्रपत्र संलग्न होंगे।

उत्तर (1) यदि सदस्य द्वारा वाद दाखिल किया जा रहा है तो उसके द्वारा सदस्यता रसीद, अंशधन प्रमाण पत्र, भूखण्ड आवंटन प्रपत्र/निबन्धित विक्रय विलेख की छाया प्रतियाँ, वाद शुल्क जमा ट्रेजरी चालान की मूल प्रति।

(2) यदि समिति द्वारा वाद दाखिल किया जाता है

दावे के पूर्व सदस्य को दी गयी नोटिस व सदस्य से सम्बन्धित अन्य आवश्यक प्रपत्र, वाद शुल्क जमा ट्रेजरी चालान की मूल प्रति, समिति की प्रबन्ध कमेटी का प्रस्ताव

प्रश्न-7 वादो के अभिनिर्णय की प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने एवं उसके लिए निर्धारित शुल्क का क्या प्राविधान है ?

उत्तरः- वादों में पारित निर्णयों की एक-एक प्रतियाँ उभयपक्षों को प्रेषित की जाती हैं किन्तु यदि किसी पक्ष को प्रमाणित प्रति की आवश्यकता है तो वह नियम 374 (ड.) के अन्तर्गत 5 रूपये प्रति पृष्ठ किन्तु कम से कम 25 रूपये निर्धारित है। जो ट्रेजरी चालान के माध्यम से उपर्युक्त वर्णित लेखा शीर्षक में जमा की जायेगी तथा उसकी मूल प्रति आवेदन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

(परिशिष्ट—क)

मध्यस्थ निर्णय हेतु प्रार्थना पत्र
(नियम 225 के अधीन)

सेवा में,

सहायक आवास आयुक्त/सहायक निबन्धक,
संयुक्त आवास आयुक्त/संयुक्त निबन्धक
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
104 महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ।

1. ....
2. ....
3. ....

(नाम तथा पता) **वादी**

बनाम

1. ....
2. ....
3. ....

(नाम तथा पता) **प्रतिवादी**

पूर्वोक्त वादी का कथन निम्न प्रकार है:—

1. प्रतिवादी के विरूद्ध किस हैसियत से मध्यस्थ निर्णय हो सकता है...............................
2. वादी किस हैसियत से मध्यस्थ निर्णय चाहता है..
3. विवाद या घटना का सारॉश जिससे बाधाधिकार उत्पन्न हो, बाधाधिकार उत्पन्न होने की तिथि ....
4. तथ्य जिनके आधार पर यह निश्चित हो सके कि वाद में अधिकारी को क्षेत्राधिकार है। वाद का मूल्यॉकन यदि कोई हो ....
5. यदि वादी विवाद का मध्यस्थ मण्डल द्वारा निर्णीत कराना चाहता है तो उसके द्वारा मध्यस्थ मण्डल के लिए नाम निर्दिष्ट व्यक्ति का पूरा नाम और पता...............................
6. अपेक्षित निवारण..
7. मौखिक तथ लेख्य साक्ष्य साक्षियों एवं लेख्य पत्रों के निवारण, यदि कोई प्रस्तुत करना है।

सत्यापन—पत्र

मैं ....आत्मज श्री..आयु........ एतदद्वारा पूर्वोक्त कडिवा 1 से 7 के विषय वस्तु का सत्यापन करता हूँ। मैंने इस वाद के मूल्यॉकन रू0.................... पर निर्धारित शुल्क रू0............................दिनॉक..................कोषागार ....में जमा कर दिया है। चालान की प्रतिलिपि साथ में संलग्न है। यदि जमा शुदा शुल्क में कोई कमी पाई जावेगी तो शेष धन जमा करने को तैयार हूँ।

वादी के हस्ताक्षर/निशानी अँगूठा

टिप्पणीः—

1. जो अनावश्यक हो काट दिया जावे।
2. यदि समिति वाजिब है तो वाद पत्र उसके द्वारा अधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और उस अभिकर्ता अधिकार देने की प्रस्ताव की प्रतिलिपि साथ में संलग्न की जायेगी।
3. पक्षों का पूर्ण पता दिया जायेगा।

टिप्पणीः— उक्त वाद प्रार्थना पत्र के साथ वाद का संक्षिप्त इतिहास/वाद का बिन्दुवार विवरण एवं मूल ट्रेजरी चालान के साथ प्रेषित किया जाय।

निर्वाचन से सम्बन्धित प्रश्न उत्तर

प्रश्न–1 सहकारी आवास समितियों की प्रबन्ध कमेटी का वर्तमान में कार्यकाल कितना होता है ?

उत्तर सहकारी आवास समितियों की प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल पूर्व में 5 वर्ष निर्धारित था। जिसे उ0प्र0 सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 1628/79–1–07–02 (क)–35–2007 लखनऊ 5 सितम्बर 2007 द्वारा संशोधित कर दो वर्ष कर दिया गया है।

प्रश्न–2 सहकारी आवास समितियों की प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचन हेतु तिथि निर्धारित करने का अधिकार किसे है?

उत्तर– उ0प्र0 सहकारी समिति नियमावली 1968 के नियम संख्या 439 (2) के अन्तर्गत निर्वाचन तिथि निर्धारित करने का अधिकार आवास आयुक्त/निबन्धक को प्राप्त है।

प्रश्न–3 कोई भी समिति अपनी प्रबन्ध कमेटी के कार्यकाल समाप्त होने से कितने दिन पूर्व निर्वाचन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है?

उत्तर उ0प्र0 सहकारी समिति नियमावली 1968 के नियम संख्या 407 के अनुसार समिति के सचिव अथवा प्रबन्ध निदेशक का यह कर्तव्य होगा कि निर्वाचित प्रबन्ध कमेटी के कार्यकाल की समाप्ति के 4 माह पूर्व सम्बन्धित प्राधिकारी को प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल समाप्त होने की सूचना देते हुए निर्वाचन क्षेत्र के अवधारण हेतु अनुरोध करेगा। इस प्रकार कोई भी सहकारी आवास समिति अपनी प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचन हेतु कार्यकाल के समाप्त होने के 4 माह पूर्व प्रस्ताव प्रेषित कर सकती है।

प्रश्न–4 निर्वाचन क्षेत्र अवधारण/आरक्षण का अवधारण करने का अधिकार किसे प्राप्त है।

उत्तर प्रारम्भिक सहकारी आवास समितियों के निर्वाचन क्षेत्रों का अवधारण करने का अधिकार सम्बन्धित सहायक आवास आयुक्त/सहायक निबन्धक को प्राप्त है। उनके द्वारा सहकारी समिति अधिनियम 1968 के नियम संख्या 440 (5) के अन्तर्गत अनन्तिम निर्वाचन क्षेत्रों का अवधारण करते हुए उस पर 7 दिन के अन्दर आपत्तियॉं प्राप्त की जाती हैं एवं प्रकाशन के 13वें दिन आपत्तियों का निस्तारण करते हुए अन्तिम निर्वाचन क्षेत्रों के अवधारण का प्रकाशन 14वें दिन कराया जाता है।

प्रश्न–5 सहकारी आवास समिति की प्रबन्ध कमेटी में कितने सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं?

उत्तर सम्बन्धित सहकारी आवास समिति की निबन्धित उपविधि के नियम संख्या 29 के अनुसार समिति की प्रबन्ध कमेटी में साधारण सदस्यों द्वारा निर्वाचित आठ सदस्य हो सकते हैं।

प्रश्न–6 सहकारी आवास समितियों में निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार किसे है?

उत्तर उ0प्र0 सहकारी समिति नियमावली 1968 के नियम संख्या 414 के अनुसार जिस जिले में सहकारी आवास समिति स्थित है। उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट को सम्बन्धित समिति में निर्वाचन कराये जाने हेतु निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है। जो किसी ऐसे सरकारी सेवक को (ऐसे विभाग के अधिकारी से भिन्न अधिकारी जो सम्बद्ध समिति के पर्यवेक्षण व प्रशासन से सम्बद्ध हो) को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर सकता है।

प्रश्न–7 समिति की प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचन में किन सदस्यों को मतदाता सूची में सम्मिलित किया जायेगा?

उत्तर उ0प्र0 सहकारी समिति नियमावली 1968 के नियम संख्या 409 के अनुसार सम्बन्धित समिति की प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचन हेतु समिति का सचिव अथवा प्रबन्ध निदेशक समय–समय पर निबन्धक द्वारा दिये गये निर्देशों या तत्समय प्रवृत्त उपबन्धों के अनुसार समस्त

मतदाताओं की सूची तैयार करेगा जिसमें निर्वाचन के 45 दिन के पूर्व सम्यक रूप से नामावलित साधारण या सहानुभूत कर सदस्य भी सम्मिलित किये जायेगे।

प्रश्न–8 निर्वाचन के पश्चात् उससे व्यथित पक्षकार अपनी शिकायत कहॉ दर्ज करा सकता है?

उत्तर उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा 70 एवं नियमावली 1968 के नियम संख्या 229 (2) (ख) के अनुसार सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष सन्दर्भित नियमावली के नियम संख्या 444 (ग) (2) में निर्धारित समयान्तर्गत (निर्वाचन परिणाम की घोषणा के दिनॉक से 45 दिन के भीतर) मध्यस्थ वाद दायर कर सकता है।

प्रश्न–9 क्या निर्वाचन परिणाम को रद्द किया जा सकता है?

उत्तर किसी भी सहकारी आवास समिति के निर्वाचन परिणाम से व्यक्ति पक्षकार उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा 70 एवं नियमावली 1968 के नियम संख्या 229 (2) (ख) के अनुसार सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष सन्दर्भित नियमावली के नियम संख्या 444 (ग) (2) में निर्धारित समयान्तर्गत (निर्वाचन परिणाम की घोषणा के दिनॉक से 45 दिन के भीतर) मध्यस्थ वाद दायर किये जाने पर सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा संतुष्ट होने पर निर्वाचन परिणाम को रद्द किया जा सकता है।

प्रश्न–10 यदि निर्वाचन कार्यकम के अनुसार निर्वाचन बीच में ही स्थगित हो जाता है तो शेष निर्वाचन प्रकिया किस प्रकार पूर्ण होगी?

उत्तर उ0प्र0 सहकारी समिति नियमावली 1968 के नियम संख्या 432 के अनुसार यदि किसी कारण से किसी सहकारी आवास समिति का निर्वाचन जिला मजिस्ट्रेट व निर्वाचन अधिकारी द्वारा रोका गया है तो निर्वाचन की प्रकिया उस प्रकम से जहॉ पर उसे रोका गया था या उसके पूर्व के प्रकम से या नये सिरे से प्रारम्भ की जायेगी। जैसा कि निबन्धक विनिश्चय करे। – प्रतिबन्ध यह है कि यदि नामॉकन कर लिये गये हैं और चिन्हों का आवंटन कर दिया गया है तो निर्वाचन की कार्यवाही आगे चलायी जायेगी और निर्वाचन ऐसे दिनॉक को कराया जायेगा जो निबन्धक नियत करे।